निर्णय वइजलास श्री रामावतार मीना आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–187/17 दावा
दायरा दिनांक :–29.08.2017
निर्णय दिनांक :– 05.08.2019

उनवान

रामभरोसी पत्नी छीतरलाल जाति सहरिया निवासी मौखमपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र जयलाल
2. मुकुटबिहारी पुत्र जयलाल
3. राधे याम पुत्र जयलाल
4. रामबिलास पुत्र जयलाल
5. संतोशबाई पुत्री जयलाल
6. सुगनाबाई पुत्री जयलाल जाति धाकड निवासीगण बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला
7. भाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. भाखा छीपाबड़ौद
8. भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन वृहत सिचाई परियोजना झालावाड़
9. भू एवं जल संसाधन विभाग बारां जिला बारां राजस्थान
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

वाद अन्तर्गत धारा88/188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 05.08.2019

उपस्थित अभिभाशक :– 1. श्री गोविन्द मुरारी गोतम – वादी
2. श्री रामेश्वर प्रसाद गोयाल– प्रतिवादी

अभिभाशक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्टविरूद्व प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 44, 45, 47, 72, 124, 279, 312, 351, 352, 353, 355, 376, 379 किता 13 रकबा 54 बीघा 17 बिस्वा मौजा बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान मे वाके है, जो मुताबिक जमाबंदी

संख्या 42 सम्वत् 2071 ता 74 से प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के खातेदारी मे दर्ज जमाबंदी है, तथा आराजी खसरा नंबर 124 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा वादनी के कब्जे का त मे चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजी मे से खसरा नंबर 124 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नंबर 999/78 थी, जो वाद सेटलमेन्ट के खसरा नंबर 124 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा मे परिवर्तित हो गई थी। वादपत्र के मद नम्बर 2 मे वर्णित आराजी पूर्व मे श्री भांकर पुत्र कान्हा जाति सहर के खातेदारी मे दर्ज जमाबंदी थी। खातेदार भांकर के एकमात्र पुत्री गोटीबाई पैदा हुई तथा गोटीबाई के एकमात्र पुत्री धुलीबाई पैदा हुई तथा धूलीबाई के एकमात्र पुत्री वादनी रामभरोसीबाई पैदा हुई तथा वादपत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित आराजीया तमे पूर्व में भांकरलाल का तथा भांकरलाल के स्वर्गवास के बाद उनकी पुत्री गोटीबाई का तथा गोटीबाई के स्वर्गवास के बाद उनकी पुत्री धूलीबाई का तथा धूलीबाई के स्वर्गवास के बाद वादनी का निरन्तर बिना किसी व्यवधान के कब्जा का त चला आ रहा है।सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से आराजी खसरा नंबर 999/78 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता जयलाल के नाम दर्ज कर दिया, जबकि जयलाल व उनके वारिसान का उक्त आराजीयात पर किसी किस्म का कोई हक व अधिकार नही था, तथा जयलाल व उनके वारिसान का आराजी खसरा नंबर 999/78 व वर्तमान मे दर्ज खसरा नंबर 124 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा पर आज तक कोई हक व अधिकार नही है।

वादनी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 से राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई उक्त गलती को दुरस्त करवाने के लिये कई बार कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने वादनी के निवेदन पर कतई ध्यान नही दिया, वादनी ने प्रतिवादी संख्या 10 श्रीमान तहसीलदार साहब छीपाबड़ौद से भी उक्त गलती दुरूस्त कर आराजी खसरा नंबर 124 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा को वादनी के खातेदारी मे दर्ज करने का निवेदन किया, लेकिन उन्होने भी कोई कार्यवाही नही की, इसलिए वादनी के लिये माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही रहा है।विवादित आराजीयात का परवन वृहत सिचाई परियोजना के डूब क्षैत्र मे आने से प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा अधिग्रहण किया जाना है, जिसके मुआवजे का भुगतान किया जाना है, विवादित आराजी खसरा नंबर 124 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के खातेदारी मे दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से अवार्ड रा ि का चैक प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा भूमि अधिग्रहण होने की अवस्था मे अवार्ड रा ि का भुगतान प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कर दिया, तो वादी को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही हो सकेगी, इसलिए वादनी के लिये प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निशेधाज्ञा हासिल करना भी नितान्त आवश्यक है।वाद कारण दिनांक 10.07.17

को वादनी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 से वादपत्र के मद नम्बर 2 मे वर्णित आराजी खसरा नंबर 124 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा वादी के खाते दर्ज करवाने का निवेदन किया, तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा वादी को धमकी दी कि वे विवादित आराजी के डूब क्षैत्र का मुआवजा स्वयं ही प्राप्त करेगें तथा वादनी को उक्त आराजी से बेदखल भी करेगें। वादीया द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 की ओर से जवाब दावा पे ा हुआ। प्रतिवादी क्रम 7 ता 10 बावजूद सूचना के न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादिया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बिलेण्डी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 42 , नकल खतौनी बदोबस्त सम्वत् 2013–32 ग्राम बिलेण्डी, नकल बदोबस्त खाता मौजा बिलेण्डी सम्वत् 1983–86, नकल जमाबन्दी ग्राम बिलेण्डी सम्वत् 2063–66, नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2013–32 ग्राम बिलेण्डी पे ा किया गया। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू 1 रामभरोसी बाई, पी.डब्ल्यू 2 सत्तार मोहम्मद,पी.डब्ल्यू 3 गनी मोहम्मद बयान कराये गये। प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य प्रतिवादी में डी.डब्ल्यू 1 राधे याम के बयान कराये गये।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

तनकी नंबर 1 :– आया कि आराजी खसरा नंबर 45, 46, 47, 72, 124, 282, 312, 351,352, 353, 355, 376, 379 कुल किता 13 रकबा 54.17 बीघा मौजा बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद मे स्थित है, जो प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के खातेदारी मे दर्ज है, तथा खसरा नंबर 124 रकबा 12. 09 बीघा वादनी के कब्जे का त मे चली आ रही है। **वादनी**

तनकी नंबर 2 :– आया क आराजी खसरा नंबर 134 रकबा 12.09 बीघा सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नंबर 999/78 था, जो बाद सेटलमेन्ट के खसरा नंबर 124 रकबा 12.09 बीघा परिवर्तित हुआ था, उक्त आराजी भांकर पुत्र कान्हा जाति सहर के खातेदारी दर्ज थी।

वादनी

तनकी नंबर 3 :– आया कि उक्त आराजी भांकरलाल के फोत होने के बाद उनकी पुत्री गोराबाई तथा गोगाबाई के स्वर्गवास के बाद उनकी पुत्री धूलीबाई तथा धूलीबाई के स्वर्गवास के बाद वादनी का निरन्तर बिना किसी व्यवधान के कब्जा का त चला आ रहा है।

वादनी

तनकी नंबर 4 :– आया कि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से खसरा नंबर 999/78 को प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पिता जयलाल के नाम दर्ज कर दिया, जबकि जयलाल का उक्त आराजी पर कोई हक अधिकार नही था। वादनी उक्त आराजी को अपने खातेदारी मे दर्ज करवाने की अधिकारी है।
वादनी

तनकी नंबर 5 :– आया कि आराजी खसरा नंबर 124 रकबा 12.09 बीघा वाके माल बिलेण्डी मे स्थित है, तो वर्तमान प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के खातेदारी व कब्जे का त मे चली आ रही है। प्रतिवादी 1 ता 6 के अलावा विवादित आराजी पर वादनी का व अन्य किसी का भी एक क्षण के लिए कब्जा का त नही रहा है, और न ही वर्तमान मे है।प्रतिवादी

तनकी नंबर 6 :– आया कि विवादित आराजी गत 60 वर्शो से अधिक समय से प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पूर्वजो के खातेदारी एवं कब्जे का त मे चली आ रही है।
प्रतिवादी

तनकी नंबर 7 :– आया कि उक्त विवादित आराजी पर वादनी का कभी कब्जा का त नही होने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नही है। वादकी का वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी

(4)

बहस अभिभाशक उभयपक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद के खसरा नंबर 124 रकबा 12.09 बीघा वादनी के कब्जे का त मे चली आ रही है। उक्त भूमि वादनी के पिता भांकर पुत्र कान्हा के खातेदारी की थी, परन्तु सेटलमेन्ट द्वारा उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पिता जयलाल के खातेदारी मे दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि का सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नंबर 999/78 था, जो सेटलमेन्ट के बाद खसरा नंबर 124 परिवर्तित हुआ। उक्त विवादित भूमि वादनी के कब्जे का त मे चली आ रही है। वादनी भांकर पुत्र कान्हा जाति सहर एक मात्र पुत्री गोटीबाई थी। गोटीबाई के एक पुत्री धूलीबाई पैदा हुई, तथा धूलीबाई के एक मात्र पुत्री वादनी रामभरोसी पैदा हुई। उक्त विवादित आराजी भांकरलाल के खातेदारी मे थी। भांकरलाल जी की मृत्यु के बाद गोटीबाई तथा गोटीबाई के स्वर्गवास के बाद धूलीबाई एवं धूलीबाई के स्वर्गवास के बाद वादनी का निरन्तर कब्जा का त चला आ रहा है। सेटलमेन्ट द्वारा प्रतिवादी 1 ता 6 के पिता

जयलाल के नाम उक्त विवादित भूमि दर्ज कर दी गई। जयलाल की मृत्यु के बाद उनके वारिसो के खातेदारी मे दर्ज कर दी गई। जबकि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा का त नही रहा। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को खातेदार कृशक घोशित किया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है, कि भांकरलाल की पुत्री गोटी बाई थी। इसका वादीया द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पे ा नही किया, और न ही कोई गोटी बाई के सम्बन्ध मे रिकार्ड पे ा किया। गोटी बाई के धूलीबाई पैदा हुई। इसका भी कोई दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत नही किया। धूलीबाई की बेटी रामभरोसी हो, यह सही साबित नही होता। वादनी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज व साक्ष्य पे ा नही किया, जिससे यह साबित हो सके की उक्त विवादित भूमि वादनी के पूर्वज व स्वयं वादनी के खातेदारी मे या संयुक्त रूप से खातेदारी मे दर्ज चली आ रही हो। उक्त विवादित भूमि वादनी के कब्जे का त मे नही है, और न ही वादनी का कब्जा का त है। वादनी द्वारा विवादित भूमि के कब्जे का त मे होने का ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व रिकार्ड प्रस्तुत नही किया, जिससे विवादित भूमि वादनी के कब्जे का त में होना साबित हो सके। वादनी द्वारा अपने वाद पत्र में यह नही बताया कि वादनी किसकी पुत्री थी। वादनी के पिता का नाम क्या था, कही भी अंकित नही है। उक्त विवादित आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व भांकर पुत्र कान्हा की होना बताया है। भांकर पुत्र कान्हा की पुत्री गोटीबाई की पुत्री धुलीबाई और धुलीबाई की पुत्री वादनी रामभरोसी बाई होना बताया है, परन्तु इन पुत्रियों का पिता कौना था, कहीं अंकित नही है। अतः वादीया का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

अभिभाशक उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। वादीया का वाद का तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार किया जाता है :–

<u>तनकी नंबर 1</u> :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बिलेण्डी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 42 के अनुसार खसरा नंबर 45, 46, 47, 72, 124, 282, 312, 351,352, 353, 355, 376, 379 कुल किता 13 रकबा 54.17 बीघा प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के खातेदारी

में दर्ज है।नकल खतौनी बदोबस्त सम्वत् 2013–32 ग्राम बिलेण्डी के अनुसार खसरा नंबर 124 रकबा 12.09 बीघा जयलाल पुत्र भवरलाल कोम धाकड के खातेदारी मे दर्ज है।प्रस्तुत नकल बदोबस्त खाता मौजा सम्वत् 1983–86 के अनुसार खसरा नंबर 999/78 रकबा 9.15 बिस्वा भांकर बेटा कान्हा के खातेदारी मे दर्ज थी, परन्तु इन्तकाल नंबर 115 से भांकर पुत्र कान्हा की

खातेदारी खारिज होने का नोट अंकित है। नकल जमाबन्दी ग्राम बिलेण्डी सम्वत् 2063–66 के अनुसार जयलाल पुत्र भवरलाल जाति धाकड सा.देह दर्ज होना पाया जाता है। इससे यह साबित होता है, कि विवादित आराजी पूर्व में प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पिता जयलाल के खातेदारी मे थी, उनके मरने के बाद प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के खातेदारी एवं कब्जे का त मे चली आ रही है। वादीया द्वारा खसरा नंबर 124 रकबा 12.09 बीघा अपने कब्जे का त मे होना बताया है, परन्तु वादीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जिससे विवादित भूमि पर वादिया का कब्जा का त साबित हो सके। वादीया ने अपने बयान पी.डब्ल्यू 1 की जिरह में बताया कि यह सही है, कि यह जमीन मेरे खाते नही है। मेरे बाप के खाते मे है। मेरे पिता का नाम भांकर सहर है। भापथ–पत्र मे भी मेरे पिता का नाम भांकर सहर नही लिखा। यह भी सही है, कि दावे के साथ भापथ–पत्र पे ा किया है, उसमें व वकालत नामा में मेरे पिता का नाम भांकर सहर नही लिखा। यह कहना गलत है, कि सेटलमेन्ट के समय जयलाल खातेदार हो, लेकिन मेरे द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी प्रद ी डी 1 में खसरा नंबर 124 वाके ग्राम बिलेण्डी का खातेदार जयलाल पुत्र भवरलाल कोम धाकड निवासी सुखनेरी दर्ज हो। रिकार्ड मे होगा, मैने नकल प्रद ी डी 1 जो पे ा की है, वह सही पे ा की है। मैं गोटी बाई व धूलीबाई नही हूॅ। गोटी बाई व धूलीबाई का रिकार्ड पे ा नही किया है। यह सही है, कि मैने भांकर की बेटी होने का प्रमाण पे ा नही किया है। आधार कार्ड व पहचान पत्र, रा ानकार्ड पे ा नही किया। मैने भांकरलाल की बेटी होने का सबूत पे ा नही किया। मैं जयलाल धाकड व उनके परिवारजनों को जानती हूॅ। इस जमीन पर प्रतिवादीगण गेहूॅ, मक्का, लहसुन वगैरा सब फसल बोते है।इस जमीन पर जबसे मैने जन्म लिया तब से प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। मैं मौखमपुरा मे रहती हूॅ, मालोनी मे नही रहती। वादिया के बयानो की जिरह से यह भी साबित होता है, कि विवादित भूमि पर वादिया का जन्म से ही कोई कब्जा का त नही रहा है। अतः यह तनकी वादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नंबर 2 :–</u> इस तनकी को साबित करने का भार वादिया को था। प्रस्तुत नकल बदोबस्त खाता मौजा बिलेण्डी सम्वत् 1983–86 के अनुसार खसरा नंबर 999/78 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा मे भांकर बेटा कान्हा का नाम दर्ज था, जो इन्तकाल नंबर 115 से खारिज होने का नोट अंकित है। नकल खतौनी बदोबस्त सम्वत् 2013–32 एवं नकल जमाबन्दी सम्वत् 2063–66 ग्राम बिलेण्डी के अनुसार जयलाल पुत्र भवरलाल जाति धाकड निवासी सुखनेरी के खातेदारी मे दर्ज होना पाया जाता है। नकल क्षैत्रफल सम्वत् 2013–32 वाके ग्राम बिलेण्डी के अनुसार गत बदोबस्त मे खसरा नंबर 78 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा एवं वर्तमान खसरा नंबर 124 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा दर्ज है, परन्तु बदोबस्त खाता मौजा बिलेण्डी के खसरा नंबर 999/78 रकबा 9.15 बिस्वा ही दर्ज है। खतौनी बदोबस्त सम्वत् 2013–32 एवं आज तक की जमाबंदीयों मेंजयलाल पुत्र भवरलाल एवं उनके स्वर्गवास होने के बाद प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के खातेदारी में चली आ रही है। सेटलमेन्ट से पूर्व

खसरा नंबर 999/78 रकबा 9.15 बीघा दर्ज था, जो इन्तकाल नंबर 115 से खारिज किया जा चुका है। यदि वादिया को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये लगभग 70 वर्श बाद वाद पत्र पे ा किया है, जो मियादभार है। अतः यह तनकी वादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 3 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादिया को था। उक्त तनकीयात के आधार पर वादिया द्वारा विवादित आराजी खसरा नंबर 124 रकबा 12.09 बीघा पर भाकरलाल का कब्जा का त एवं उनके स्वर्गवास के बाद पुत्री गोटा बाई का कब्जा का त तथा गोटा बाई के स्वर्गवास के बाद उनकी पुत्री धूलीबाई एवं धूलीबाई के स्वर्गवास के बाद वादनी का निरन्तर किसी व्यवधान के कब्जा का त चला आना बताया है। परन्तु वादिया द्वारा कब्जे बाबत ऐसा कोई दस्तावेज व साक्ष्य पे ा नही किया, जिससे यह साबित हो सके कि विवादित आराजी पर वादिया का कब्जा का त चला आ रहा है। वादिया द्वारा अपने बयान पी.डब्ल्यू1 की जिरह मे यह स्पश्ट कहा है, कि विवादित आराजी पर मेरे द्वारा भूमि पर जन्म लिया, तभी से जयलाल व उनके वारिसान का कब्जा का त चला आ रहा है, और प्रतिवादीगण द्वारा गेहूँ, मक्का, लहसुन की फसल बोई जाती है। इससे भी यह साबित होता है, कि वादिया का विवादित भूमि पर कभी कब्जा का त नही रहा। वादिया द्वारा कब्जे बाबत खसरा गिरदावरी की नकले पे ा नही की, जिससे वादिया का कब्जा का त साबित हो सके। उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के कब्जे का त एवं खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। अतः यह तनकी वादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 4 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादिया को था। प्रस्तुत नकल बदोबस्त खाता मौजा बिलेण्डी सम्वत् 1983–86 के अनुसार खसरा नंबर 999/78 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा मे भांकर बेटा कान्हा का नाम दर्ज था, जो इन्तकाल नंबर 115 से खारिज होने का नोट अंकित है। वादिया द्वारा उक्त तनकी में सेटलमेन्ट द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पिता जयलाल का नाम गलत दर्ज करना बताया है, जबकि प्रस्तुत नकल बदोबस्त खाता मौजा बिलेण्डी सम्वत् 1983–86 के अनुसार भांकर पुत्र कान्हा का नाम इन्तकाल नंबर 115 से खारिज कर दिया गया। उसके बाद से ही प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पिता एवं उनके स्वर्गवास होने के बाद प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के खातेदारी मे एवं कब्जे का त मे चली आ रही है। नकल खतौनी बदोबस्त सम्वत् 2013–32 एवं नकल जमाबन्दी सम्वत् 2063–66 ग्राम बिलेण्डी के अनुसार जयलाल पुत्र भवरलाल जाति धाकड निवासी सुखनेरी के खातेदारी मे दर्ज होना पाया जाता है।वादिया द्वारा लगभग 70 वर्श बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये वादपत्र प्रस्तुत किया है, जो मियाद बहार है। वादिया उक्त विवादित आराजी पर खातेदारी

अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अतः यह तनकी वादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 5 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण को था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बिलेण्डी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 42 के अनुसार खसरा नंबर 45, 46, 47, 72, 124, 282, 312, 351,352, 353, 355, 376, 379 कुल किता 13 रकबा 54.17 बीघा प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के खातेदारी में दर्ज है। नकल खतौनी बदोबस्त सम्वत् 2013–32 ग्राम बिलेण्डी के अनुसार खसरा नंबर

124 रकबा 12.09 बीघा जयलाल पुत्र भवरलाल कोम धाकड के खातेदारी मे दर्ज है।प्रस्तुत नकल बदोबस्त खाता मौजा सम्वत् 1983–86 के अनुसार खसरा नंबर 999/78 रकबा 9.15 बिस्वा भांकर बेटा कान्हा के खातेदारी मे दर्ज थी, परन्तु इन्तकाल नंबर 115 से भांकर पुत्र कान्हा की खातेदारी खारिज होने का नोट अंकित है। नकल जमाबन्दी ग्राम बिलेण्डी सम्वत् 2063–66 के अनुसार जयलाल पुत्र भवरलाल जाति धाकड सा.देह दर्ज होना पाया जाता है। इससे यह साबित होता है, कि विवादित आराजी पूर्व में प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पिता जयलाल के खातेदारी मे थी, उनके मरने के बाद प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के खातेदारी एवं कब्जे का त मे चली आ रही है। वादिया के बयान पी.डब्ल्यू 1 की जिरह में बतया कि मैं जयलाल धाकड व उनके परिवारजनों को जानती हूँ। इस जमीन पर प्रतिवादीगण गेहूँ, मक्का, लहसुन वगैरा सब फसल बोते है। इस जमीन पर जब से मैने जन्म लिया तब से प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। मैं मौखमपुरा मे रहती हूँ, मालोनी मे नही रहती। वादिया के बयानो की जिरह से यह भी साबित होता है, कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा का त चला आ रहा है। वादिया का विवादित भूमि पर कभी भी एक क्षण के लिए कब्जा का त नही रहा। अतः यह तनकी प्रतिवादीक्रम 1 ता 6 के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 6 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण को था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बिलेण्डी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 42 के अनुसार खसरा नंबर 45, 46, 47, 72, 124, 282, 312, 351,352, 353, 355, 376, 379 कुल किता 13 रकबा 54.17 बीघा प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के खातेदारी में दर्ज है। नकल खतौनी बदोबस्त सम्वत् 2013–32 ग्राम बिलेण्डी के अनुसार खसरा नंबर 124 रकबा 12.09 बीघा जयलाल पुत्र भवरलाल कोम धाकड के खातेदारी मे दर्ज है। वादिया के बयान पी.डब्ल्यू 1 की जिरह में बतया कि मैं जयलाल धाकड व उनके परिवारजनों को जानती हूँ। इस जमीन पर प्रतिवादीगण गेहूँ, मक्का, लहसुन वगैरा सब फसल बोते है। इस जमीन पर जब से मैने जन्म लिया तब से प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। वादिया के बयानो की जिरह से यह भी साबित होता है, कि विवादित

भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा का त चला आ रहा है। वादिया का विवादित भूमि पर कभी भी एक क्षण के लिए कब्जा का त नही रहा। प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पिता व उनके मरने के बाद प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 का लगातार कब्जा का त चला आ रहा है। अतः यह तनकी प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 7 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था। वादिया के बयान पी.डब्ल्यू 1 की जिरह मे बताया कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर गेहूँ, मक्का, लहसुन बगैरा की फसल बोते है। इस जमीन पर जब से मैने जन्म लिया है, तब से प्रतिवादीगण का ही कब्जा का त चला आ रहा है। वादिया द्वारा खातेदारी एवं कब्जे बाबत कोई रिकार्ड व साक्ष्य पे ा नही किये। पी.डब्ल्यू 2 सत्तार मोहम्मद ने अपने बयानो की जिरह मे बताया कि जयलाल धाकड को मे जानता हूँ। जयलाल जी का स्वर्गवास हो गया है। जयलाल जी बिलेण्डी मे नही रहते है, ग्राम सुखनेरी मे रहते थे। जयलाल वाली जमीन मेने देखी है, जो बिलेण्डी गांव मे है, जो करीब 12 बीघा है। रामभरोसी भांकर की बेटी है।रामभरोसीबाई कितने भाई बहिन है, मुझे पता नही। रामभरोसीबाई का पिता मरा तब मे छोटा था। मै गोटी बाई को नही जानता, मैं धूलीबाई को नही जानता, धूली बाई के पिता का नाम क्या था, मुझे पता नही, धूलीबाई के माता का नाम क्या था, व कब मरी मुझे पता नही। धूलीबाई के कितने बच्चे पैदा हुये, पता नही। पी.डब्ल्यू 3 गनी मोहम्मद ने अपने बयानो की जिरह में बताया कि जयलाल जी को जानता हूँ, वह मर चुके है, जिसके वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 को जानता हूँ। मैने जयलाल जी की जमीन नही देखी, जो जमीन जयलाल जी के लड़के करते है, वह 12 बीघा है, जिसे सहर वाली जमीन कहते है। मैने सहर के खाते की नकल नही देखी। भांकरलाल जी की 3 बेटी है। ग्यारसीबाई, मांगीबाई व रामभरोसीबाई है। जयलाल के बेटा बेटी गेहू , चना, व लहसुन बोते है। उक्त प्रस्तुत बयानो से भी यह साबित होता है, कि विवादित आराजी पर वादनी का कभी कब्जा का त नही रहा। प्रतिवादीगण का ही कब्जा का त चला आ रहा है। वादिया 70 वर्श बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये वादपत्र प्रस्तुत किया है, जो मियाद बहार है। वादिया द्वारा कब्जे का सम्बन्धित कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत पे ा नही किये, जिससे वादी का कब्जा का त साबित हो सके। अतः यह तनकी प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

उक्त तनकीयात के निस्तारण से यह साबित होता है, कि वादिया का विवादित आराजीयात पर कभी कब्जा का त नही रहा। वादिया द्वारा अपने पिता का नाम भांकरलाल बताया गया है, जबकि वाद पत्र में भांकरलाल की पुत्री गोटीबाई और गोटी बाई की पुत्री धूलीबाई और धूलीबाई की पुत्री रामभरोसी बाई को बताया गया है। वादिया को अपने पिता का ही नाम पता नही है। भांकरलाल प्रस्तुत वादपत्र के अनुसार गोटी बाई के पिता थे।

रामभरोसीबाई, धूलीबाई की पुत्री होना वाद पत्र से साबित होता है। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बिलेण्डी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 42 के अनुसार खसरा नंबर 45, 46, 47, 72, 124, 282, 312, 351,352, 353, 355, 376, 379 कुल किता 13 रकबा 54.17 बीघा प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के खातेदारी में दर्ज है। नकल खतौनी बदोबस्त सम्वत् 2013–32 ग्राम बिलेण्डी के अनुसार खसरा नंबर 124 रकबा 12.09 बीघा जयलाल पुत्र भवरलाल कोम धाकड के खातेदारी मे दर्ज है।

प्रस्तुत नकल बदोबस्त खाता मौजा सम्वत् 1983–86 के अनुसार खसरा नंबर 999/78 रकबा 9.15 बिस्वा भांकर बेटा कान्हा के खातेदारी मे दर्ज थी, परन्तु इन्तकाल नंबर 115 से भांकर पुत्र कान्हा की खातेदारी खारिज होने का नोट अंकित है। नकल जमाबन्दी ग्राम बिलेण्डी सम्वत् 2063–66 के अनुसार जयलाल पुत्र भवरलाल जाति धाकड सा. देह दर्ज होना पाया जाता है। इससे यह साबित होता है, कि विवादित आराजी पूर्व में प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पिता जयलाल के खातेदारी मे थी, उनके मरने के बाद प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के खातेदारी एवं कब्जे का त मे चली आ रही है। पी.डब्ल्यू 1 रामभरोसीबाई ने अपने बयानो में बताया किमैं जयलाल धाकड व उनके परिवारजनों को जानती हूँ। इस जमीन पर प्रतिवादीगण गेहूँ, मक्का, लहसुन वगैरा सब फसल बोते है। इस जमीन पर जबसे मैने जन्म लिया तब से प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 का कब्जा चला आ रहा है।वादिया द्वारा कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत पे ा नही किया तथा वादिया द्वारा 70 वर्श बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत किया जो मियाद बहार है। और न ही वादिया कब्जे बावत कोई दस्तावेज पे ा किया वादिया द्वारा अपने बयानों में भी प्रतिवादीगण का कब्जा का त का त होना बताया है जिससे वादिया का कब्जा का त साबित नहीं होता है ऐसी स्थिति मेंवादिया का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

: क्रियात्मकआदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीया का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकार छीपाबड़ौद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2019.08.28 17:42:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: